झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची)

प्रारंभिक अधिसूचना

हिन्दपीढ़ी, थाना भवन निर्माण परियोजना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–हिन्दपिड़ी, थाना–हिन्दपिड़ी, थाना संख्या–205, अंचल–शहर, जिला–राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना–हिन्दपिड़ी थाना भवन निर्माण हेतु अपेक्षित है, इस परियोजना हेतु अधिसूचित एस0 आई0 ए0 ईकाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्राम्बे, राँची द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार–संक्षेप यथा निम्न हैः–

(1) प्रस्तावित हिन्दपिड़ी थाना भवन के बनने से प्रभावित भू–धारी के भूमि हीन, गृहविहीन और कार्यविहीन नही होंगे।

(2) आस–पास के लोगों को स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव योजना के कार्यन्वयण से नही पड़ेगा।

(3) हिन्दपिड़ी थाना भवन निर्माण से वहाँ के निवासीयों को समाजिक स्तर पर शान्ति का वातावरण एवं समाजिक समरसता बनाये रखने में पुलिस प्रशासन को सुगमता होगी।

भू–अर्जन के कारण कुल एक परिवार की भूमि अर्जित होगी। अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम–हिन्दपिड़ी, थाना–हिन्दपिड़ी, थाना संख्या–205, अंचल–शहर, जिला–राँची में उपर्युक्त परियोजना के लिए –14.75 डीसमील मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (डीस0 में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	**85**	**823**	खतियानी	कायमी	**14.75**	डॉ0. रविशंकर सहाय, विनय शंकर सहाय, प्रेम शंकर सहाय,	सड़क	नगर निगम नाली	शिशिर कुजूर	निर्मल कुमार

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

dlaoranchi@gmail.com, dlaoranchi@rediffmail.com

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि मे किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/सममाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची और उनके कर्मचारी... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के आदेश के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
राँची।

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

dlaoranchi@gmail.com, dlaoranchi@rediffmail.com